25-05-18 पत्रावली पेश हुई वादिया का पति हा सतनारायण हाजिर सुना गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हाजिर को सुना गया पत्रावलि का अवलोकन किया गया संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पचल्ली की जमाबंदि सवंत 2069-72 के खाता संख्या नया - पुराना ~~246~~ 246-148 खसरा नं.-600/175 क्षेत्रफल 3 बीघा बारानी 2 नामांतकरण संख्या 1057 दिनांक 15-09-14 के द्वारा क्रेता आशा पत्नी सतनारायण साकिन देह के नाम दर्ज है पूर्व में यह भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज थी उसका नामान्तकरण संख्या 1030 दिनांक 11/04/14 से न्यायिक मजिस्ट्रेट ~~बद्री बन्द~~ ~~के~~ कैकड़ी द्वारा बद्री वन्द देवा की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी स्वयं उनके नौकर-चाकर आदि के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे यह प्रार्थना पत्र हक-अधिकार का निर्धारण नहीं करता है, हक अधिकार का प्रश्न मूलवाद में बाद शहादत तय होगा, खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे

आदेश आज दिनांक 25-05-18 को मजमे आम रामपाली में सुनाया गया।

सदस्य
सचिव
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

प्रधान
प्रधान
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner